

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार
सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,

ग्रामीण विकास विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: 23-11-13

विषय :- माँग संख्या-12-वित्त विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय, उप शीर्ष-08-विविध तथा आकस्मिक व्यय, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 49-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-12N207000800080649 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु प्राप्त राशि का उप-आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं, लघु शीर्ष-800- अन्य व्यय, उप शीर्ष-08-विविध तथा आकस्मिक व्यय, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 49-आर्थिक सहायता विपत्र कोड-12N207000800080649 के अंतर्गत वित्त विभाग के पत्रांक-11/बी० टी०-03/2013-14/376/बजट दिनांक-28.10.13 से प्राप्त राशि को निम्न रूप में दर्शाये गये निम्नांकित कार्यालय को उप-आवंटित किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विवरण	कुल आवंटन (लाख ₹ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, दुमका	स्व० कामेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल दुमका, की सरकारी कार्य से लौटने के क्रम में सड़क दुघटना में मृत्यु के उपरांत उनकी आश्रिता विधवा पत्नी श्रीमती नीलम सिन्हा को अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान की राशि के भुगतान हेतु।	10.00	

आवंटित राशि - ₹ दस लाख मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-2014 में वित्त विभाग के आवंटन पत्रांक-11/बी० टी०-03/2013-14/376/बजट दिनांक-28.10.13 द्वारा प्राप्त राशि ₹ 10.00 (दस लाख) के अन्तर्गत है।
- निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी कर एवं नियमानुसार भुगतान कर अनुपालन प्रतिवेदन ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/वित्त विभाग को अविलम्ब भेजेंगे।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- उप-आवंटित राशि का व्यय जल संसाधन विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं०-3/विविध-07-21/2012/5416/ रॉची, दिनांक-19.09.2013 एवं वित्त विभाग द्वारा निर्गत आवंटन में अंकित शर्तों के अनुरूप किया जायेगा।
- राशि की निकासी निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुरूप हो, यह सुनिश्चित किया जायेगा।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(एम.एस. चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन/ उपआवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से अन्य दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 फरवरी 2014 तक कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु.- 1. वित्त विभाग का आवंटनादेश

सं.-376/ दि.-28.10.13 की प्रति

2. जल संसाधन विभाग का पत्रांक-

3/विधि-07-21/2012/5416 दिनांक-19.09.13


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

130

राँची, दिनांक :-

23-11-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/दुमका सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.- 1. वित्त विभाग का आवंटनादेश

सं.-376/ दि.-28.10.13 की प्रति

2. जल संसाधन विभाग का पत्रांक-

3/विधि-07-21/2012/5416 दिनांक-19.09.13


(अविनाश कुमार)
सचिव

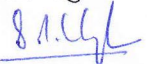
ज्ञापांक :-

130

राँची, दिनांक :-

23-11-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/ योजना एवं विकास विभाग/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) राँची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/ स्व० कामेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कनीय अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल दुमका, की पत्नी श्रीमती नीलम सिन्हा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(एम.एस. चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव